कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा।

पत्र संख्या 869/जिविसेप्रा/ली0ए0डि0का0भर्ती/2022 दिनांक 06.10.2022

साक्षात्कार हेतु विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र सं0 3153/एस0एल0एस0ए0–99/2019 (हैदर वी) दिनांक 25–08–2022 द्वारा LADCS (Legal aid defence counsel system) Scheme के अन्तर्गत एक चीफ, दो डिप्टी, तीन असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के पदों पर चयन किया जाना है। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गठित चयन समिति दिनांक 10–10–2022 से 14–10–2022 को साक्षात्कार हेतु बैठक करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के कार्यालय में अधिक संख्या में प्राप्त आवेदन के दृष्टिगत श्रेणी के अनुसार आवेदनकर्ताओं मे से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाना निम्न दिनांक/स्थान/समय को सुनिश्चित हुआ है।

क्रम सं0	साक्षात्कार का दिनांक	आवेदनकर्ताओं की श्रेणी	साक्षात्कार हेतु रिपोर्टिंग स्थान/समय
01.	10.10.2022	Assistance Legal aid defence counsel	नवीन सभागार/मीटिंग हाल अपरांन्ह 02.00 बजें
02.	11.10.2022	Dupty Legal aid defence counsel	
03.	14.10.2022	Chief Legal aid defence counsel	

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु

समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति/ओरिजनल डाक्यूमेंट, उनके द्वारा कम से कम 30 सत्र परीक्षणीय मामलों में अधिवक्ता के रूप में किए गए कार्य के संबंध में वकालतनामा व निर्णय की सत्यप्रति तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र मय शपथपत्र के साथ उपस्थित हों।

2. डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति/ओरिजनल डाक्यूमेंट, उनके द्वारा कम से कम 25 सत्र परीक्षणीय मामलों में अधिवक्ता के रूप में किए गए कार्य के संबंध में वकालतनामा व निर्णय की सत्यप्रति तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र मय शपथपत्र के साथ उपस्थित हों।

3. असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति/ओरिजनल डाक्यूमेंट, उनके द्वारा आपराधिक मामलों में शून्य से तीन वर्ष के वकालत के अनुभव संबंधी प्रपत्र तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र मय शपथपत्र के साथ उपस्थित हों।

माननीय जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि जरिए फोन साक्षात्कार की तिथियों की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थियों को फोन कॉल एवं मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित न होने पर साक्षात्कार अवसर पुनः देय नही होगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय की वेबसाइट

www.districts.ecourts.gov.in/agra एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर अपलोड करायी जाएगी।

केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय आगरा उक्त तिथियों/स्थान पर कुर्सी, मेज व पेयजल इत्यादि की उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

6/10/22

(मुक्ता त्यागी)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
आगरा।

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. माननीय सदस्य सचिव, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को अवलोकनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
2. प्रस्तुत साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना समस्त बार एसोशिएशन के नोटिस बोर्ड तथा केन्द्रीय नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।
3. उक्त साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जरिए जिला सूचनाधिकारी निःशुल्क प्रकाशित कराई जाए।
4. उक्त साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना जनपद न्यायालय आगरा के कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि प्रस्तुत सूचना को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. कमेटी के समस्त सदस्यगण सूचित हों।

6/10/22

(मुक्ता त्यागी)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
आगरा।